02
17-18

स्थानांतरण (दखिल खारिज) के आवेदन पर कर्मचारी का प्रतिवेदन

स्थानांतरण (दखिल खारिज) केस नं0 .....

गां0 नगला मुकरी थाना ह/ि0 परगना नं0 28196 जिला हाथरस

(1) लिखे विक्रय, दान बटवारा या रजगधिकारी अन्तरित क्षेत्र का रकबा

पूर्णतः या अंशतः आंशिक चकाया गया मूल्य केता का पेशा

कैवाला संख्या 4410 दिनांक 26.7.16

खाता संख्या	आवेदकारी का नाम	प्लॉट नं0	रकबा	लगान और डैक्लियत	अग्रांकित
28	दूए खता के पहले की भागदारी की भूमी-सुरेश पुत्री-सुरेश मजरे-सुरेश कुल 3 P.H.28/111	के पहले 75 1113 47	मूल्य 6.30	जमाबन्दी 13.41	पंजी II के पृष्ठ संख्या 28/17 के अनुसार (1) खातेदारी रैयत का नाम एवं जाति विक्री हुई। क्रेता सुरेश अनुसूचित जाति (2) विक्रेता खातेदारी रैयत के कौन थे ? – ह/ि0 हाथरस (3) विक्रेता अपने हिस्से से अधिक जमीन बिक्री किये है या नहीं नहीं (4) बिक्री के पूर्व उस जमीन पर विक्रेता का दखल था या नहीं दखल था (5) विक्रेता उस जमीन को किस प्रकार हासिल किये है मौरूसी (6) प्रश्नगत भूमी गै0 खास गै0 आम अतिरिक्त खाता मुदान में दर्शित है या नहीं नहीं (7) प्रश्नगत भूमि चकबन्दी में अन्तर्गत आती है या नहीं नहीं (8) प्रश्नगत भूमि किस जीप्स ग्रीन का आम प्रयोग के लिए के अन्तर्गत आती है या नहीं नहीं (9) प्रश्नगत भूमि किस के पक्ष में दान किये है या क्रय दखल है
28	नहीं	नहीं	6.13½	13.31	
28	सुरेश पुत्र स्व0 नाम पिता स्व0 नाम जाति-ह/ि0	75 0.07.3½ 1113 0.08 4) 0.08 0.16.3½	0.10		(10) पंजी II पृष्ठ संख्या 28/17 विक्रेता के नाम पर दर्ज नहीं पाई गई है तथापि खातेदारी रैयत का प्रमाणपत्र सन् 15-16 तक दिया गया है। अनुशंसा विक्रेता C.L.T. Act के अन्तर्गत क्रय की है उक्त समस्त भूमि चकबन्दी के पश्चात पंजीकरण कि0 39/16 SC से प्रश्नगत वृक्ष विक्री की गई है किन्तु क्रेता के नाम से नामान्तरण किया जाना उचित है।

आवेदिनी श्रीमति विक्रेता के उत्तराधिकारी हैं। विक्री हेतु पंजीयन के पश्चात नामान्तरण (0) हेतु विक्री की गई है।